भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 304676

स्व0 श्रीमती सुन्दरी देवी त्रिपाठी सामाजिक सेवा संस्थान

ट्रस्ट विलेख

मै डॉ0 ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री प्रेम चन्द्र त्रिपाठी निवासी ग्राम रामनाथपुर पोस्ट हनुमानगंज परगना झूसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज का भारतीय नागरिक हूं।

मो0 नं0 8858070000 आधार सं0– 2144 3693 8377

ट्रस्ट निर्माण की प्रकल्पना:–

समाज के विभिन्न वर्गो के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कल्याणकारी धार्मिक, न्यायिक व मानवीय प्रगति हेतु कार्यो को करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमो के माध्यम से आगे बढ़ाने को आतुर हूं।

जिसके लिए मै एक ट्रस्ट के निर्माण की अत्यन्त ही आवश्यकता समझता हूं।

अतः आज दिनांक 23.02.2019 को मै डॉ0 ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री प्रेम चन्द्र त्रिपाठी ट्रस्टकर्ता के रूप मे रुपये 11,000/–(ग्यारह हजार रुपये) प्रदान कर स्व0 **श्रीमती सुन्दरी देवी त्रिपाठी सामाजिक सेवा संस्थान सृजित करता हूं** उपरोक्त राशि ट्रस्ट कोष के रूप मे उसकी स्थायी सम्पत्ति होगी। जो ट्रस्ट के बैंक खाते मे स्थाई रूप से जमा रहेगी। ट्रस्ट का एक आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी होगा। जिसे ट्रस्ट की ओर से सम्पत्तियो के क्रय–विक्रय करने, किराये पर देने लेने , लीज पर देने व लेने तथा अनुदान लेने व देने के अभिलेखों पर निर्णय एवं हस्ताक्षर करने एवं राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था से लोन लेने का विधिक/न्यायिक अधिकार होगा। अन्य ट्रस्टियो को नियुक्त करना, ट्रस्टी मण्डल का गठन करना, ट्रस्टियों को हटाने तथा ट्रस्टी मण्डल को भंग करने की संस्तुति पर पुनः गठन का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी को होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 973295

मै मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवनकाल मे किसी भी व्यक्ति को मैनेजिंग ट्रस्टी नामित कर सकता हूँ जो मेरे बाद मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य करेगा। नामित न करने की दशा मे मैनेजिंग ट्रस्टी का चयन तत्कालीन ट्रस्टियों द्वारा सर्वसम्मत या बहुमत अथवा ट्रस्ट के बाइलाज से होगा।

ट्रस्ट का विवरण इस प्रकार है:–

1. **ट्रस्ट का नाम:–** स्व0 श्रीमती सुन्दरी देवी त्रिपाठी सामाजिक सेवा संस्थान होगा। जो आजीवन वैध होगा।
2. **ट्रस्ट का मुख्यालय:–** ग्राम रामनाथपुर पोस्ट हनुमानगंज परगना झूसी तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। आवश्यकतानुसार मैनेजिंग ट्रस्टी के पास यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के मुख्यालय को किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी , ट्रस्ट के और भी सह–कार्यालय भारतवर्ष मे तथा विदेशों मे किसी भी स्थान पर खोलने व बन्द करने का एवं स्थान परिवर्तित करने का भी विधिक अधिकार होगा।
3. **ट्रस्ट के उद्देश्य:–**
   1. शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु प्राथमिक विद्यालय ,माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी विद्यालय, शिक्षक –प्रशिक्षण कॉलेज,महाविद्यालय,इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेण्ट कॉलेज, विधि कॉलेज, बी0एड0 कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, फॉर्मेसी कॉलेज, बायोटेक संस्थान, चिकित्सा / मेडिकल कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक महाविद्यालय व संस्थाओं आदि को स्थापित करना व करवाना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 973294

2. गरीब/निर्धन छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना व व्यवस्था करना वृद्धाश्रम एवं अनाथालय का निर्माण करना, व्यवस्था करना एवं संचालन करना व करवाना।
3. चिकित्सालय नर्सिंग होम ,मैटरनिटी होम , मेडिकल स्टोर आदि का निर्माण एवं संचालन करना व करवाना।
4. नेत्र एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरों का आयोजन करना व करवाना ।
5. विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कार्यों / शिक्षा का प्रबन्ध करना व करवाना।
6. विकलांग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना व करवाना।
7. दलितों एवं पिछड़ों /कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित कर आत्म निर्भर बनाना।
8. अन्य समितियों/ट्रस्ट द्वारा हस्तान्तरित विद्यालयों , महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक शिक्षण व अन्य संस्थाओं का नियमानुसार ग्रहण करना एवं संचालन करना व करवाना तथा उनकी सम्पत्तियों आदि को **स्व0 श्रीमती सुन्दरी देवी त्रिपाठी सामाजिक सेवा संस्थान** के नाम हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही करना व करवाना।
9. धार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रबन्धन करना व करवाना।

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 4 38AA 404174

10. शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए समारोह, व्याख्यान , वाद –विवाद तथा चर्चा सेमिनार का आयोजन करने के लिए इंजीनियरों , डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन (International Alliance of Engineers ,Doctors and Researchers) (Leader) का निर्माण करना तथा इसे देश व विदेशों में संचालित करना व करवाना।
11. शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए साहित्य, शोध –पत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन कार्यवाही किताब, और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन तथा इसे देश व विदेशों में वितरण करना तथा क्रय–विक्रय करना व करवाना।
12. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान, ऋण, छूट ,सहायता, अनुदान आदि धन या वस्तु के रूप में प्राप्त करना।
13. सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य करना व करवाना।
14. महिला, युवा, बाल एवं कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।
15. समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों महानुभावों के सम्मान में गोष्ठियों का आयोजन करना तथा उन्हें स्मृति पदक देकर सम्मानित करना व करवाना।
16. अनुसूचित जाति ,जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना व करवाना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

सत्यमेव जयते

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 404173

17. विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों , स्वयंसेवी संस्थाओं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों , राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर मानव विकास हेतु मिलकर कार्य करना तथा उपरोक्त संस्थाओं से दान सहायता एवं अनुदान राशि प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये गये कार्यों में व्यय करना व करवाना।
18. विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु शोध–प्रशिक्षण ,गोष्ठी,सेमिनार एवं सम्मेलन का आयोजन एवं प्रसार सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना।
19. विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु शोध–पत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन कार्यवाही पुस्तक, शोध–पत्रिकाओं और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन करना तथा इसे देश व विदेशों में वितरण तथा क्रय–विक्रय करना व करवाना।
20. कृषि विकास भूमि सुधार एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार करना व करवाना।
21. ट्रस्ट के उद्देश्यों व संचालन हेतु समयानुसार अन्य कार्यों को संचालित करना व करवाना।
22. किसानों के लिए कृषि विकास हेतु समस्त कार्यों को करना व करवाना।
23. समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कानूनी सहायता देना ,कानूनी मदद करना व करवाना।
24. सामाजिक उत्थान हेतु कृषि आधारित उद्योग,फल ,सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु उद्योगों एवं अन्य उद्योगों को स्थापित करना संचालित करना व करवाना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20 रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 404172

4. **ट्रस्ट की आयः**—ट्रस्ट की आय उसकी स्थायी कोष में जमा राशि एवं उसका ब्याज, लाभांश ,सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जन–प्रतिनिधियों द्वारा ली गयी सहायता राशि ,उदार व्यक्तियो द्वारा प्रदत्त चल–अचल सम्पत्ति, जन प्रतिनिधियों द्वारा ली गयी सदस्यता शुल्क , ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा प्राप्त धनराशि तथा ट्रस्ट की अन्य सम्पत्तियों एवं कार्यों से प्राप्त धनराशि आदि से होगी। जिसका उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं ट्रस्ट के विस्तार के कार्यो में किया जायेगा। ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किसी भी कर्मचारी के वेतन मानदेय किराया आदि देना व्यक्तिगत लाभ नही माना जायेगा। ट्रस्टी अथवा उसके सगे सम्बन्धियों के विशेषज्ञता के आधार उनकी सेवायें ट्रस्ट मे तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में मानदेय या वेतन के साथ लिया जा सकता है।

5. **ट्रस्ट के खाते का रखरखाव व संचालनः**— ट्रस्ट की समस्त आय किसी मान्यता प्राप्त बैंक ,राष्ट्रीयकृत बैंक,सहकारी बैंक,ग्रामीण बैंक एवं /या डाकघर में ट्रस्ट के नाम बचत एवं/या चालू खाता खोलकर रखा जायेगा। इस खाते का संचालन प्रधान मैनेजिंग ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

6. **ट्रस्ट का गठनः**—

ट्रस्ट के उद्देश्यों में रुचि एवं आस्था रखने वाले महानुभावों को ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी नियुक्त किया गया है, जो इस प्रकार है:—

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 7 38AA 404171

क्र.सं.	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पता
1.	डॉ० ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी	श्री प्रेमचन्द्र त्रिपाठी	मैनेजिंग ट्रस्टी	ग्राम रामनाथपुर पोस्ट हनुमानगंज परगना झूंसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज
2.	श्री प्रेमचन्द्र त्रिपाठी	स्व0 सिद्धि नारायण त्रिपाठी	ट्रस्टी	ग्राम रामनाथपुर पोस्ट हनुमानगंज परगना झूंसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज
3.	श्रीमती रेखा शुक्ला	डॉ० ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी	ट्रस्टी	ग्राम रामनाथपुर पोस्ट हनुमानगंज परगना झूंसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज

उपरोक्त तीन (कुल 3) ट्रस्टी इस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी होंगे जो वर्तमान ट्रस्टी मण्डल का गठन करेंगे।

7. ट्रस्टियों की नियुक्ति :–

वर्तमान आजीवन ट्रस्टियों के अतिरिक्त नये ट्रस्टियों/ रिक्त ट्रस्टियों के पदो पर 18 वर्ष से अधिक आयु एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि रखने वाले समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को मैनेजिंग ट्रस्टी ही ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 404170

8. **ट्रस्ट की साधारण सभाः—** ट्रस्ट के वर्तमान आजीवन सदस्यों एवं तत्पश्चात नियुक्त ट्रस्टी ट्रस्ट की साधारण सभा के सदस्य होंगे।

9. **ट्रस्टी मण्डल (GOVERNING BOARD OF TRUSTEE) का गठन का उद्देश्य :—**

1. ट्रस्टी मण्डल का गठन वर्तमान आजीवन ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमोदन के बाद ही सामाजिक व्यक्तियों को ट्रस्टी मण्डल का ट्रस्टी सदस्य बनाया जा सकता है।
2. ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आजीवन ट्रस्टी एक ट्रस्टी मण्डल (GOVERNING BOARD OF TRUSTEE) का गठन करेंगे। ट्रस्टी मण्डल में ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या 3 होगी। ट्रस्टी मण्डल में ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी का अनुमोदन या ट्रस्टी मण्डल के सर्वसम्मति या बहुमत के निर्णय के बाद ही किया जा सकता है।

   स्पष्टीकरणः— वर्तमान आजीवन सदस्यों के समाप्त होने या संख्या कम होने की स्थिति में वर्तमान मैनेजिंग प्रधान ट्रस्टी के न रहने पर उनकी पत्नी मैनेजिंग ट्रस्टी होंगी, व उनके न रहने पर वर्तमान मैनेजिंग प्रधान ट्रस्टी के उपरान्त उनके वारिसान ही ट्रस्टी मण्डल का गठन करेंगे व मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे।

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये ₹.10 TEN RUPEES Rs.10 INDIA

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH 67AD 473920

3.ट्रस्ट एवं उसके द्वारा समस्त संचालित संस्थाओं और सह संस्थाओं की समस्त शक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी में निहित होगी। ट्रस्टी मण्डल इस सम्पत्ति को आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा, देखभाल करेगा,प्रबन्धन करेगा, तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका उपयोग करेगा। ट्रस्टी मण्डल द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से लिए गये निर्णयों के अन्तर्गत सभी कार्य सम्पादित होंगे।

10.ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारी:–

ट्रस्ट की गतिविधियो को सुचारू रूप से संचालन तथा ट्रस्टी मण्डल के गठन हेतु निम्न पद एवं पदाधिकारी होंगे:–

अध्यक्ष:– प्रेमचन्द त्रिपाठी पुत्र स्व0 सिद्धि नारायण त्रिपाठी निवासी ग्राम रामनाथपुर पोस्ट हनुमानगंज परगना झूसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सचिव:– डॉ0 ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी पुत्र प्रेमचन्द त्रिपाठी ग्राम रामनाथपुर पोस्ट हनुमानगंज परगना झूसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

कोषाध्यक्ष:– श्रीमती रेखा शुक्ला पत्नी डॉ0 ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी निवासिनी ग्राम रामनाथपुर पोस्ट हनुमानगंज परगना झूसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त पदाधिकारी सचिव व कोषाध्यक्ष अपने जीवनकाल तक अपने पदो पर बने रहेंगे। जब तक कि उन्हें मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा पदच्युत न किया जाय। ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष पद पर मैनेजिंग ट्रस्टी ही सदैव पदेन होगा तथा शेष दो अन्य पदो का चयन ट्रस्टी द्वारा ट्रस्टियों से ही किया जायेगा, जिनका अनुमोदन मैनेजिंग ट्रस्टी करेगा। यदि मैनेजिंग ट्रस्टी अनुमोदन नही करता तो वह अन्य ट्रस्टी की उक्त पद पर नियुक्त करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 433915

11. ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मण्डल की सदस्यता समाप्ति:–

1. ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर।
2. ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
3. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने पर।
4. अध्यक्ष को बिना लिखित बताये ट्रस्टी मण्डल की तीन लगातार बैठको में भाग न लेने पर।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी ट्रस्टी को बिना कारण बताये उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामाजिक व्यक्ति को ट्रस्टी बना सकता है।
6. मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार होगा कि वह ट्रस्ट में रिक्त/अतिरिक्त पदो पर ट्रस्टियों की नियुक्त करें या न करें।

12. ट्रस्टी मण्डल की बैठकें:–

ट्रस्टी मण्डल की वर्ष कम से कम एक बार बैठक हुआ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टी मण्डल की अन्य बैठकें हो सकती है। ट्रस्टी मण्डल की बैठक की लिखित सूचना एवं एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक ट्रस्टी को प्राप्त करा दी जायेगी। आकस्मिक बैठकें एक दिन के अन्दर बुलाई जा सकती है। आपात स्थित में ट्रस्ट सम्बन्धी त्वरित निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया जा सकता है। जिसका ट्रस्टी मण्डल की बैठक बुलाकर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रस्टी मण्डल की बैठक कोरम कम से कम 1/2 सदस्यों की उपस्थिति से होगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नही होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 67AD 433916

13. ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व:-

अध्यक्ष:-

अध्यक्ष ट्रस्टी मण्डल की बैठकों को आहूत करने के लिए सचिव को निर्देश देगा, तथा उसकी अध्यक्षता करेगा। वह मतदान में भाग नहीं लेगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णयों की घोषणा करेगा। बराबर मतों की स्थिति में उसका मत निर्णायक एवं सर्वमान्य होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम ट्रस्टी उसके दायित्व निर्वहन करेगा।

सचिव:-

सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक आहूत करेगा, ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाहियों अभिलेखन करेगा तथा ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को ट्रस्ट कार्यालय मे सुरक्षित रखेगा। ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं को आवश्यक निर्देश देगा तथा उसका पालन सुनिश्चित करेगा, ट्रस्ट के समस्त निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। माननीय न्यायालय सरकार अथवा अन्यत्र कहीं भी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/ ट्रस्टी मण्डल के निर्णय अनुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों के पदों का सृजन करेगा, उस पर नियुक्ति, उनका वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता, तथा दैनिक मजदूरी का निर्धारण आदि कार्य करेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित संस्था के प्रधान मैनेजिंग ट्रस्टी को देगा। वह ऐसे समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा जो उसे मैनेजिंग ट्रस्टी/ट्रस्टी मण्डल द्वारा समय-समय पर करने के लिए अधिकृत किया जायेगा। सचिव की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष उस बैठक मे सचिव के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 433917

कोषाध्यक्ष:-

कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से उदारमना व्यक्तियो द्वारा दान, ट्रस्ट सम्पत्तियों का किराया, ट्रस्ट सम्पत्तियों का विक्रय धनराशि, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि आदि प्राप्त करेगा। तथा उसे ट्रस्ट के बैंक के खाते में जमा करेगा तथा उसका लेखा–जोखा रखेगा। उपरोक्त राशि ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/ट्रस्टी मण्डल के निर्देशानुसार उपयोग व उपभोग की जायेगी। ट्रस्ट का वार्षिक बजट तैयार कर ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। ट्रस्टी मण्डल के समस्त वित्तीय पत्रजातों का लेखा–परीक्षण करायेगा तथा उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक मे प्रस्तुत करेगा। लेखा एवं बैंक सम्बन्धी समस्त पत्रजात ट्रस्ट कार्यालय मे सुरक्षित रखेगा एवं खाते का संयुक्त रूप से संचालन करना ।

14 मैनेजिंग ट्रस्टी /ट्रस्टी मण्डल के अधिकार:-

1. किसी मान्यता प्राप्त बैंक , राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या/व डाकघर में मैनेजिंग ट्रस्टी तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित ट्रस्ट के नाम खाता खोलने हेतु निर्णय लेना।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के नियमो, परिनियमो, उद्देश्यों आदि मे संशोधन करना , नये नियम बनाना तथा अनुपयोग हो चुके नियमो को समाप्त करना तथा उनके संचालन हेतु समितियों व उपसमितिया व नियमो ,उपनियमों को बनाना व संशोधित करना।
3. ट्रस्ट के कार्यों हेतु कर्मचारियों को नियुक्त करना , उनके वेतन का भुगतान करना तथा न्यायोचित कारणों से उन्हें पदच्युत करना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 433914

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य संचालित संस्थाओं में हस्तान्तरित (Transfer) करना।
5. ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करना तथा उन्हें पदच्युत करना।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध समिति के गठन हेतु संविधान/नियमावली बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर बने हुए संविधान नियमावली में संशोधन करना।
7. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की, ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने वाली अथवा विवादित प्रबन्ध समिति को भंग कर उनके स्थान पर दूसरी प्रबन्ध समिति का गठन करना तथा उसके गठन होने तक संस्था का प्रबन्धन ट्रस्टी मण्डल के सचिव द्वारा कराना।
8. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के समस्त वादों/विवादों का निपटारा करना।
9. ट्रस्ट के विरुद्ध समस्त वाद मा० न्यायालय इलाहाबाद के कार्यक्षेत्र में निहित होगा।

15. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का संविधान:—

ट्रस्ट में निहित समस्त कार्यों को संचालित करने हेतु सुचारू प्रबन्धन हेतु एक प्रबन्ध /कार्यकारिणी समिति निम्न प्रकार से गठित होगी जिसके पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे:—

अध्यक्ष	—	एक
प्रबंधक/सचिव	—	एक
उपप्रबंधक/उपसचिव	—	एक
कोषाध्यक्ष	—	एक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 67AD 433911

16. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व :—

अध्यक्ष:—

प्रबन्ध समिति की बैठकों को आहूत करने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देना बैठकों की अध्यक्षता करना, समिति के निर्णयों की घोषणा करना। अनिर्णय की स्थिति में बैठक की कार्यवाही ट्रस्टी मण्डल को संदर्भित करना तथा उसके निर्णय प्राप्त होने पर समाप्त सदस्यों को निर्णय से अवगत कराने के लिए प्रबन्धक को निर्देशित करना।

प्रबन्धक / सचिव:—

प्रबन्धक अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करेगा तथा बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को एजेण्डा सहित प्राप्त करायेगा। वह संस्था का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होगा। वह बैंक से लेन–देन , पत्र–व्यवहार, न्यायालीय कार्य नियुक्तियां , वेतन वितरण क्रय–विक्रय अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आदि करेगा। वह बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन करेगा तथा उससे सम्बन्धित समस्त पत्रजातों का रखरखाव करेगा। संस्था अथवा प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में वह ट्रस्टी को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा। तथा ट्रस्टीमण्डल द्वारा लिए गये निर्णयों को कार्यान्वित करेगा।

उपप्रबन्धक / उपसचिव /—

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष:—

निधियों का संरक्षण करना, वित्तीय नीति निर्धारण एवं वित्तीय विषयों पर संस्तुति प्रदान करना बैंक खाते का लेखा–जोखा रखना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 433921

17.विधिक कार्यवाही व क्षेत्राधिकार:–ट्रस्ट के लिए व ट्रस्ट के विरूद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही ट्रस्ट के नाम से की जायेगी और ट्रस्ट की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी मुकदमे व कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से भाग लेने के लिए किसी अन्य ट्रस्टी को भी अधिकृत कर सकता है।

18.यदि किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से ट्रस्ट का विघटन होता है तो इसकी सभी चल–अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी के वारिसानों में हिन्दू उत्तराधिकार नियम भांति समाहित होंगी।

19.ट्रस्ट –संविधान में संशोधन:–

ट्रस्टी मण्डल के 2/3 के बहुमत से ट्रस्ट संविधान में संशोधन कर सकता है। उसमें कुछ जोड़ सकता है तथा उसके कुछ अंश जो विधि सम्मत न हो को हटा सकता है। उपरोक्त के लिए बैठक की सूचना ट्रस्टियों को कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराना आवश्यक होगा। ट्रस्टी मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी को उपरोक्त संशोधनों एवं परिवर्तनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा।

20.यह कि इस ट्रस्ट का मूल्यांकन मु0 11,000/– रुपया है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। तथा ट्रस्ट के पास मु0 11,000/– रुपये के अतिरिक्त कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है।

अतएव मैं अपने स्वस्थ मस्तिष्क एवं होशो– हवास से यह ट्रस्ट विलेख (TRUST DEED) लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

17

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 433919

गवाह सं0 1	गवाह सं0 2
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम : जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता का नाम : जयकान्त पाण्डेय पता : छिबैया झूंसी प्रयागराज। पेशा :– वकालत।	नाम : आशुतोष कुमार मिश्र एडवोकेट पिता का नाम : श्री आर0पी0 मिश्रा पता : मोहल्ला पूरेमहारथ, फूलपुर प्रयागराज। पेशा वकालत।
आधार सं0.– 7758 7679 8400	D.B.A.EnrollementNo. UP 3351/2005
मो0 नं0– 9198157853	मो0 नं0– 9415109163

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18

67AD 433918

ट्रस्टकर्ता /मैनेजिंग ट्रस्टी
(डॉ0 ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)

मसविदा कर्ता: संतोष कुमार शुक्ल एडवोकेट फूलपुर, प्रयागराज।
मो0 नं0 :— 9415636418
टाइपकर्ता:— जे.पी.शर्मा
दिनांक :— 23.02.2019